आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 175/13–14

शिव प्रसाद सिंह उर्फ शिवजी वनाम् अखिलेश पासवान एवं अन्य

आदेश

31.07.14

आवेदक शिव प्रसाद सिंह उर्फ शिवजी पिता स्व० बसावन सिंह ग्राम रामपुर वैना थाना परासी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। साथ ही भूमि का नापी कराकर पीलर गड़वाने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम रामपुर वैना, थाना नं० 97 थाना परासी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
111	189	53 डी०	उ०– बिहार सरकार द०– नीज पू०– बहादुर सिंह प०– बिहार सरकार
111	1961	49 डी०	उ०– नीज द०– बहादुर सिंह पू०– रामाकान्त सिंह प०– बहादुर सिंह वगैरह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए। उनके द्वारा जबाब दाखिल किया गया परन्तु कोई कागजात दाखिल नही किया गया और बहस में भी हिस्सा नही लिया गया और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। आवेदक ने उक्त भूमि को दो वर्ष पूर्व विपक्षीगण को मनी पर दिया था। इस वर्ष प्रथम पक्ष उपज का हिस्सा मॉगने गये तो विपक्षीगण ने मनी देने से इनकार कर दिया और बोले कि यह भूमि गैरमजरूआ भूमि है। अतः अनुरोध है कि मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षीगण ने अपने जवाब में लिखा है कि:–

(1) प्रतिवादी के पिता स्व० कामेश्वर पासवान को खाता नं० 111 प्लॉट नं० 189 रकवा 51 डी० एवं खाता नं० 111 प्लॉट नं० 1961 रकवा 43 डी० अवस्थित मौजा रामपुर वैना थाना नं० 87 थाना अरवल जिला गया में स्व० लाल बिहारी सिंह पिता स्व० उजियार सिंह साकिन रामपुर वैना थाना अरवल से एकरारनामा के द्वारा दिनांक 02.06.1925 में प्रश्नगत् भूखण्ड प्राप्त है।

(2) उक्त तिथि से प्रतिवादी के पिता स्व० कामेश्वर पासवान प्रश्नगत् भू–खण्ड को जोत–कोड़ करने लगे और खाता नं० 111 प्लॉट नं० 1961 रकवा 43 डी० में से

01 डी० में एक कमरा मिट्टी का बनाये थे।

(3) पिता के मरणोपरान्त प्रश्नगत् भू–खण्ड पर प्रतिवादी दखल काबिज हुए और पूर्व की भॉति मकान में रहते हुए प्रश्नगत् भू–खण्ड को जोत कोड़ एवं आबाद करते आ रहे है।

(4) उक्त एकरारनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक कामेश्वर पासवान को हमारे भूमि को जोत कोड़ करने का इच्छा रहेगा तब तक स्वेच्छा से जोत कोड़ करते रहेगें। इसमें किसी फरीकैन को प्रश्नगत् भू खण्ड पर दावा वो सरोकार नही रखेगे और न करेगें।

(5) प्रतिवादी के पिता स्व० कामेश्वर सिंह की मृत्यु करीब 10 वर्ष के आस पास हो चुकी है और इस बीच किसी फरीकैन द्वारा वादी के तहत किसी थाने या न्यायालय में मामला दर्ज या लंबित नही है।

(6) प्रश्नगत् खाता नं० 111 प्लॉट नं० 189 के रकवा 59 एवं खाता नं० 111 प्लॉट नं० 1961 रकवा 43 डी० खतियान में दर्ज है जबकि वादी इस रकवा से अधिक पर वाद लाये हुए है जिससे स्पष्ट है कि वादी को अपना भूमि नहीं है और अनैतिक अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी के पिता को प्राप्त एकरारनामा के भूमि पर हड़प लेने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

(7) वादी दो सहोदर भाई है– शिव प्रसाद सिंह उर्फ शिवजी सिंह वो ज्वाला सिंह,परन्तु सिर्फ वादी के द्वारा वाद लाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज़ होने योग्य है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं विपक्षी के जबाब और पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि का खतियान रामदहीन सिंह वो लालजी सिंह वो लाल बिहारी सिंह वो रासबिहारी सिंह पिता उजियार सिंह साकिन देह बहिस्से बराबर दर्ज है। आवेदक द्वारा दाखिल 2011–2012 का राजस्व रसीद राम रूप सिंह पिता स्व० रामदहीन सिंह के नाम से है। आवेदक द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि विवादित जमीन उन्हें कैसे प्राप्त हुई है। उपरोक्त परिस्थिति में विवादित भूमि के निश्वत् आवेदक को किसी भी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.01

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31.01

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।